

॥ न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म0प्र0) ॥

क्रमांक:.....४३

शिवपुरी, दिनांक 22-01-26

॥ आंशिक संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ॥

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म0प्र0) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील शिवपुरी में पदस्थ श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी एवं तहसील में पदस्थ श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस का माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार, समान आपराधिक कार्य विभाजन निम्नानुसार निश्चित करती हूँ :-

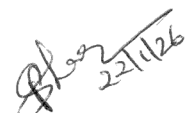
// अनुसूची क्रमांक 02 //

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दांडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	सुश्री निहारिका व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
2.	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी

नोट :-

1. तहसील शिवपुरी के समस्त **रिक्त न्यायालय**, जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिवपुरी एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका निराकरण श्रीमती प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी द्वारा किया जायेगा। उक्त संबंध में आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 क्रमांक 15 शिवपुरी, दिनांक 09.01.2025 की कंडिका क्र. 4 की उप कंडिका क्र. 3 में वर्णित **रिक्त न्यायालय** का आदेश निरस्त किया जाता है।
2. उपरोक्त उल्लेखित सभी न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दंडिक कार्य संपादित करेंगे।


(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी, (म.प्र.)